हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	26/02/2021	

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली पूर्व नियत इन्तजार पेशी दिनांक 4/05/21 से तलब की जाकर आज पेश की गई प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त जवाब को अभिलेख पर लिया गया एवं बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष प्रकरण में निर्णय पारित किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त बिन्दुवार जवाब का अवलोकन किया गया। मुताबिक जवाब भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला अनुतोषित खसरा नम्बर 473 रकबा 0.02 हैक्टेयर तन ग्राम सलेदीपुरा पुराने खसरा नम्बर 267 रकबा 1 बिस्वा से बना है। सैटलमेंट से पूर्व उक्त पुराना खसरा नम्बर 267 रकबा एक बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन आबादी (सिवायचक) दर्ज थी। जिसे दौराने सैटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 473 रकबा 0.02 हैक्टेयर में किस्म गैर मुमकिन टीबा दर्ज कर दी गई। चूंकि वर्तमान में अनुतोषित खसरा नम्बर 473 रकबा 0.02 है० कि किस्म गैर मुमकिन टीबा दर्ज है जिसमें काश्तकार के नाम वाले कॉलम में वर्तमान जमाबंदी पहाड़ी तथा पर्वत (चारागाह हेतु) दर्ज है। इसप्रकार प्रार्थी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 473 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन टीबा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुतोष पाने का कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाने पर, खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 26/02/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया। 26/02/2021 (बृजेश कुमार) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, सीकर उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते	